रजिस्ट्री संख्या डी. एल.—33001/93 REGISTERED NO. DL-33001/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 23] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 10, 1993/आषाढ़ 19, 1915
No. 23] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 10, 1993/ASADHA 19, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, 22 जून, 1993

आ.अ. 97—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग ने पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के परामर्श से श्री ए. चन्द्रशेखर मेनन के स्थान पर श्री वी. वी. सेल्वाराज, आई. ए. एस. परियोजना निदेशक, डी. आर. डी. ए. पांडिचेरी और सरकार (शिक्षा) पदेन सचिव पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र, कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से और अगले आदेशों तक पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है। उन्हें निर्वाचन आयोग के अधीन निर्वाचनों से संबंधित संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में निर्वाचनों से संबंधित विभाग में सरकार के सचिव के रूप में पदाभिहित किया जाएगा।

2. आयोग ने नोट किया है कि श्री सेल्वाराज के पास परियोजना निदेशक डी. आर. डी. ए. पांडिचेरी और सरकार (शिक्षा के पदेन सचिव पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के रूप में अतिरिक्त प्रभार है। आयोग पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के लिए पूर्णकालिक मुख्य निर्वाचन अधिकारी रखने के लिए दबाव नहीं डाल रहा है क्योंकि संघ राज्य क्षेत्र में 2 से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नहीं है।

3. श्री सेल्वाराज पांडिचेरी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए आयोग की लिखित पूर्वानुमति के बिना पांडिचेरी प्रशासन के अधीन और ऊपर पैरा 2 में उल्लिखित धारित कार्यभार के अतिरिक्त कोई कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे।

4. यदि श्री सेल्वाराज को ऊपर पैरा 2 में उल्लिखित प्रभारों के अतिरिक्त आयोग की लिखित पूर्वानुमति लिए बिना किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है तो इस आदेश की शर्तों के अनुसार श्री सेल्वाराज को ऐसा अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पांडिचेरी के पद से हटा दिया माना जाएगा और कोई अन्य आदेश न तो जारी किया जाएगा अथवा अपेक्षा जारी करना आवश्यक समझा जाएगा। इसके पश्चात् मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में उनकी ड्यूटियों और कृत्यों के निर्वहन में की गई सभी अथवा कोई भी कार्यवाई अप्राधिकृत अधिकारियों सहित, नहीं और व्यर्थ तथा शून्य मानी जाएगी, और अपने आपको अनुशासनात्मक कार्यवाई के लिए प्रस्तुत करना होगा ।

[सं. 154/पांडिचेरी/93]

आदेश से,
के.पी.जी. कुट्टी, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, the 22nd June, 1993

O.N. 97.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India, in consultation with the Administration of the Union Territory of Pondicherry, hereby nominates Shri B. V. Selvaraj, IAS, Project Director, DRDA, Pondicherry and Ex-Officio Secretary to Gopernment (Education), Union Territory of Pondicherry, as the Chief Electoral Officer for the Union Territory of Pondicherry, with effect from the date he takes over charge and until further orders vice Shri A. Chandrasekhara Menon. He will also be designated as Secdetary to Government in the department dealing with elections under the Election Commission in the Union Territory Administration.

2. The Commission has noted that Shri Selvaraj has additional charge as Project Director, DRDA, Pondicherry and ex-officio Secretary to Government (Education) Union Territory of Pondicherry. The Commission is not insisting on a full-time Chief Electoral Officer in the Union Territory of Pondicherry as the Union Territory has not more than two Parliamentary Constituencies.

3. Shri Selvaraj, while functioning as Chief Electoral Officer Pondicherry shall not held, without the prior written approval of the Commission any additional charge, whatsoever under the Administration of Pondicherry over and above the charges mentioned in paragraph 2 above.

4 If Shdi Selvaraj is entrusted with any additional charge other than the charges mentioned in paragraph 2 above without the prior written approval of the Commission, Shri Selvaraj will stand removed from the office of the Chief Electoral Officer, Pondicherry from the date of assumption of any such additional charge in terms of this very Order and no other Order will, or need to, be issued. All and any action taken by him thereafter in the discharge of his duties and functions as the Chief Electoral Officers, shall be unauthorised, without jurisdiction, non-est and null and void and he shall render himself liable to disciplinary action.

[No. 154/Pond/93]

By Order,

K. P. G. KUTTY, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayn Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993.